



10,000 का इनामियाँ एवं वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि दिनांक 09/06/2021 को अभियुक्त गुरुप्रसाद पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम पोथिया थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने दामाद सुरेश पुत्र भदईया निवासी ग्राम सहुरापुर थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर के साथ कमरे में बंद कर मारपीट करना व शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा देना तथा जान से मारने की धमकी दी गयी थी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 59/2021 धारा 147/326/342/323/506/188/269 भारतीय दंड संहिता आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/57 व धारा 3 महामारी अधिनियम में 05 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त मुकदमे से संबंधित अन्य 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित शेष वांछित अभियुक्त गुरुप्रसाद पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम पौथिया बुजुर्ग थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर लगातार फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक ललपुरा को निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर कुंडौरा मोड़ टैम्पो स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. SHO श्री श्री प्रकाश यादव
 2. Si श्री मधुरेश कुमार त्रिपाठी
 3. कांस्टेबल राहुल कुमार
 4. कांस्टेबल अनुज कुमार
 5. कांस्टेबल प्रशांत यादव
 6. कांस्टेबल प्रिंस यादव
 7. महिला कांस्टेबल खुशबू
- थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर

